न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—16/12 (2012/00091) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—प्रेमी पुत्री मोहन नाई निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1—बाबुनाथ आत्मज धन्ना नाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—सुवानाथ आत्मज खेम नाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—तहसीलदार एवं उपपंजीयक रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1—सुनील जैन
2—जाकिर हुसैन

अधिवक्ता प्रार्थीगण
अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 28.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया सोहनी, गोपाल, सीता, नारायण, कमलेश, शिव नाई एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस तें सामिल सरीक रहते चले आ रहे है प्रार्थीया एवं इनके मध्य पारिवारिक सम्पदाओं का विभाजन मीटस् एण्ड बोड्स के आधार पर नही हुआ है तथा सभी चल अचल सम्पदाएं अविभक्त दशा में चली आ रही है। सुविधा की दृष्टि से इनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

मोहन आत्मज नाथु नाई फोथ 1994

सोहनी	गोपाल	लक्ष्मण फौथ	प्रेमी प्रार्थीया

सीता	नारायण	कमलेश	शिव

ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्के में साबिक आराजी संख्या 316, 326/15 रकबा 5 बिघा जिसके हाल आराजी संख्या 486 व 489 रकबा 1.08 है0 स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीया एवं सोहनी, गोपाल, सीता, नारायण, कमलेश, शिव नाई की पुश्तैनी चली आ रही है। उक्त विवाजित आराजित में प्रार्थीया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार श्री मोहन लाल

की मृत्यु के बाद 1/4 की हिस्सेदार है किन्तु प्रार्थीया के भाई एवं माता ने राजस्व कर्मियों से मिल विक्रय कर दी जो कानुनन गलत है प्रतिवादी बिना विभाजन कराये वादिया के कब्जे में किसी प्रकार का दखंल करने का हकदार नही है प्रार्थीया के मुकाबले प्रतिवादीगणों का विक्रयपत्र प्रभावहीन होकर बेअसर है प्रतिवादीगणों को ताफैसला मूलवाद के अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जावें की प्रार्थीया के हक हिस्से में जबरन कब्जा नही करे रहन बाई बक्षसीस नही करें व न अन्य से करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता जाकिर हुसैन उपस्थित है तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 की और से जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अकित किया कि वादिया का प्रार्थना पत्र गलत होकर अस्वीकार है वादग्रस्त भूमि मोरूसी भूमि नही है और निरन्तर प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है प्रार्थीया का कोई हिस्सा नही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पैतृक है मोहनलाल पिता नाथु नाई जो प्रार्थीया के पिता ळै के फौथ होने पर विरासत के दौरान प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में अकित नही कर प्रार्थीया के दोनो भाई एवं माता के नाम अकित कर दिया जो विधि अनुसार नही है। प्रार्थना पत्र का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है और विपक्षीगण द्वारा अगरी भूमि आगे स्थानान्तरण या रहन, बय बक्षीस कर दी जाती हैतो प्रार्थीया को क्षति होगी ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया के पक्ष में और विपक्षीगणो के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगणों के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि रेकार्ड और मौके की यथा स्थिति बनाये रखे और आगे किसी प्रकार का हस्तान्तरण एवं कब्जे में किसी प्रकार दखल न किया जावें। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व विपक्षीगण ताफैसला मूल वाद तक जारी की जाती है। उक्त पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.11.19

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.04 12:12:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: